Letter no. 814

Date: 12.07.16

नगर परिषद, चाईबासा का कार्यालय

पश्चिमी सिंहभूम

आवश्यकता

संविदा के आधार पर दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry System) से लेखा संधारण करने तथा लेखा संबंधी आंकड़ो की प्रविष्टि तथा लेखा बही एवं अन्य कार्य करने हेतु लेखापाल पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन।

नगर परिषद, चाईबासा के लेखा प्रणाली को दोहरी प्रविष्टी प्रणाली द्वारा संधारण करने हेतु निकाय स्तर पर लेखा आंकड़ों की प्रविष्टि तथा लेखा बही तैयार करने के लिये लेखापाल संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्न प्रकार आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

क्र०	पदनाम	कुल पद	अधिकतम मानदेय राशि
1	लेखापाल	01	15,000.00

संविदा शर्त्त के आधार पर पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पदनाम अंकित करते हुए अपने बायोडाटा (जन्म तिथि प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सभी मार्कशीट, अनुभव प्रमाण पत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं स्वपता लिखा टिकट युक्त लिफाफा के साथ) दिनांक 20 जुलाई 2016 तक निबंधित डाक के माध्यम भेज सकते हैं।

1. **Qualification & Experience of Accountant**
   a) The candidate should have Graduate degree in commerce with experience of Tally based computerized accounting system.
   b) He must have ability to prepare computerized book of accounts through tally software in a company/organization of repute.
   c) The candidate should have be less than 42 Years of age.
   d) The candidate should have good communication skill and exposure to valuation of assets and capable preparing requisite books of accounts on the instruction of charted accountant.
2. आवश्यकतानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर Short Listing की जा सकती है। तदोपरांत योग्य आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
3. आमंत्रित आवेदकों का साक्षात्कार गठित चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।
4. यह नियोजन एक वर्ष के लिए की जायेगी। आवश्यकतानुसार तथा दक्षता एवं कार्य क्षमता के आधार पर विस्तारित भी की जा सकती है।
5. संविदा मानदेय आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
6. संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. मानदेय का भुगतान नगर परिषद राजस्व कोष में जमा राशि से किया जायेगा। कोष में राशि के अभाव के कारण मानदेय लम्बित भी रह सकता है।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
9. समय के समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
10. इस प्रकार के नियोजन संविदा समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा सूचना देकर एक माह का संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकती है इसके लिए दावा मान्य नहीं होगा।
11. सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश देय होगा।
12. बिना कारण बताये नियोजन की स्वीकृति अथवा रद्द करने लिए अद्योहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, चाईबासा

Phone&Fax- 06582 255073/ 255111 email- npchaibasa@gmail.com